

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 279/2019

1. शारदा पत्नी सज्जन कुमार जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादीया

बनाम्


1. सज्जन कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जाभिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चकनं0 2 डीपीएम के खाता सं0 131 में कुल 2.277 है0 आराजी में से वादीया को 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 2 डीपीएम के खाता सं0 131 में से प्रतिवादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।

वसूत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...०३-०१-२०१९...को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी